

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2026 — चैत्र 9, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 मार्च 2026

अधिसूचना

F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (19).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15—ख की उप-धारा (1) के खण्ड (एक) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल की श्रेणी को, स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 01-04-2026 से 31-03-2027 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स.क्र.	माल का विवरण	छूट की सीमा	शर्तें एवं अपवाद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	हाई स्पीड डीजल (बल्क में)	अंशतः इस प्रकार, जिससे कर की दर घटकर 17 प्रतिशत हो जाए।	जब इस अधिनियम या छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) के अधीन पंजीकृत किसी व्यापारी को उपभोग या खपत के लिए, — (एक) राज्य के भीतर छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में यथा परिभाषित वस्तुओं के विनिर्माण ; या (दो) राज्य के भीतर आम जनता के उपयोग के लिए सड़क परिवहन, हवाई अड्डा, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्यों, पाईपलाइन, नलिका या संयंत्र, पेयजल आपूर्ति, जल उपचार, सीवरेज उपचार या निपटान के लिए निर्माण, मरम्मत, परितर्जन, नवीकरण या पुनरुद्धार, पुल, सुरंग या टर्मिनल के निर्माण ; या

स.क्र. (1)	माल का विवरण (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं अपवाद (4)
			(तीन) राज्य के भीतर खनन तथा निर्माताओं द्वारा कैप्टिव खनन के मामले में राज्य के भीतर कारखाना परिसरों में इस प्रकार खनन की गई सामग्री का परिवहन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात:- (क) व्यवसायियों के पास वर्ग 'बी' पेट्रोलियम उत्पादों का थोक में आयात या भंडारण करने के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस हो : (ख) ऐसे व्यवसायी द्वारा हाई स्पीड डीजल का क्रय, प्रति बीजक 12 कि.ली. से कम नहीं होगा ; (ग) व्यवसायी को उपरोक्त उपयोग के लिए हाई स्पीड डीजल का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर से ही करना होगा ; (घ) ऐसी छूट, एक पंजीकृत करदाता को उपलब्ध होगी, करदाताओं के समूह को नहीं, तथा (ङ) व्यवसायी केवल तेल विपणन कंपनियों अर्थात् मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स नयारा एनर्जी लिमिटेड और मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से थोक में हाई स्पीड डीजल खरीदेगा ; (च) व्यवसायी को इस अधिसूचना में विनिर्धारित रीति में क्षेत्राधिकार प्राप्त वाणिज्यिक कर अधिकारी से स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
2.	हाई स्पीड डीजल	अंशतः इस प्रकार, जिससे कर की दर घटकर 23 प्रतिशत + 1 रुपया प्रति लीटर हो जाए।	स. क्रं. 1 के स्तंभ (4) में उल्लिखित को छोड़कर, अन्य सभी व्यापारियों के लिए।

1. क्षेत्राधिकार प्राप्त वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा व्यवसायी को अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करने की रीति-व्यवसायी सादे कागज पर निम्नलिखित विवरणों, जो लागू हों, के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात:-

- (एक) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति ;
- (दो) पिछले वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त ;
- (तीन) पिछले वित्तीय वर्ष में खरीदी और उपयोग की गई हाई स्पीड डीजल की मात्रा (कि. ली. में) ;
- (चार) पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट ;
- (पांच) वर्ग 'बी' पेट्रोलियम उत्पादों को थोक में आयात या संग्रहित करने के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा जारी वैध लाइसेंस की प्रति ;
- (छः) कार्य आदेश की प्रति, यदि कोई हो ;
- (सात) जिस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदन मांगा गया है, उसके लिए एचएसडी की अनुमानित खपत का विवरण, साथ ही उन उपकरणों/मशीनों/वाहनों, प्रक्रियाओं और गतिविधियों का विवरण, जिनके लिए एचएसडी का उपयोग करना आशयित है; तथा
- (आठ) खदान के स्वामित्व/पट्टा/आवंटन आदि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य।

व्यापारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से तीस दिन के भीतर उप-खण्ड (दो), (तीन), (पांच), (छः), (सात) एवं (आठ) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों के साथ सादे कागज पर आवेदन, क्षेत्राधिकार प्राप्त वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रस्तुत करके स्वीकृति प्रमाण-पत्र का अनुमोदन का नवीनीकरण कराना होगा।

क्षेत्राधिकार प्राप्त प्राधिकारी, उपरोक्त सभी शर्तों के आधार पर व्यवसायी की सत्यता से संतुष्ट होने पर, आवेदन प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, निम्नलिखित प्रारूप में स्वीकृति प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, अर्थात:-

स्वीकृति प्रमाणपत्र

मेसर्स जीएसटीआईएन को वर्ष के लिए के प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु की दर पर एचएसडी खरीदने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

वाणिज्यिक कर अधिकारी का नाम और मुहर

2. व्यवसायी, इस अधिसूचना में यथा विहित घोषणा पत्र की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति, उस तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर, जिसमें उक्त खरीदी की गई है, विक्रेता तेल विपणन कंपनी को प्रस्तुत करेगा और विक्रेता कंपनी, उक्त घोषणा प्रस्तुत किए जाने तक उक्त क्रेता को कोई और रियायती बिक्री नहीं करेगी ;

3. विक्रय करने वाली तेल विपणन कंपनी, ऐसी रियायती बिक्री का विवरण अपने क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्यिक कर अधिकारी को संबंधित तिमाही की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करेगी, अर्थात:-

क्र. सं.	डीलर का नाम और जीएसटीआईएन	चालान संख्या और दिनांक	विक्रय की गई एचएसडी की मात्रा	विक्रय मूल्य (रु. में)	वैट राशि (रु. में)	कुल राशि	घोषणा का सं. क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

घोषणा

(वाणिज्यिक कर-जीएसटी विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक के अन्तर्गत)

मैं/हम(व्यापारी का नाम).....(पता), एक व्यापारी, जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक (टीआईएन और जीएसटीआईएन) रखता हूँ, एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने(व्यापारी का नाम और पता), जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक (टीआईएन और जीएसटीआईएन) रखता है, से विनिर्माण या खनन या संकर्म संविदा में उपयोग या खपत के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हाई स्पीड डीजल खरीदा है।

2. मेरे द्वारा क्रय किया गया माल, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट है तथा उक्त माल की खरीद की तारीख को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रभावी था।

खरीदे गए सामान का विवरण

क्रय बिल/चालान/कैश ममो/चालान का विवरण		खरीदे गए सामान का विवरण	मात्रा	मूल्य (रु.)
स.क्र.	तारीख			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			योग :-	

कुल मूल्य (अंकों में) रुपए शब्दों में केवल।

स्थान :

दिनांक :

.....
व्यापारी के हस्ताक्षर और मुहर

3. क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्यिक कर अधिकारी को उक्त प्रयोजन के लिए एचएसडी के उपयोग के संबंध में जांच करने की शक्ति होगी तथा किसी भी चूक की स्थिति में उक्त अनुमोदन को रद्द कर दिया जाएगा।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 मार्च 2026

F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (19).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (19), दिनांक 30-03-2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th March 2026

NOTIFICATION

F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (19).— In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-Section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2), under restrictions and conditions specified in column (4) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), from the period from 01-04-2026 to 31-03-2027, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Description of Goods	Extent of exemption	Conditions and exceptions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	High Speed Diesel (In bulk)	Partly, so as to reduce the rate of tax to 17 Percent.	When sold to a dealer, registered under this Act or the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017(No. 7 of 2017), for use or consumption in,- (i) the manufacturing of goods as defined in the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 within the State; or (ii) erection, construction, repair, alteration, renovation or restoration, bridge, tunnel or terminal for road transportation, airport, railways, canal, dam or other irrigation works, pipeline, conduit or plant for drinking water supply, water treatment, sewerage treatment or disposal for use by general public within the State; or, (iii) Mining within the State, and the transportation of material so mined to factory premises within the State in case of captive mining by manufacturers, subject to the following conditions namely :- (a) The dealer holds a valid license to import or store class 'B' petroleum products in bulk, issued by Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO), Ministry of Commerce & Industry; (b) The purchase of HSD by such dealer shall not be less than 12KL per invoice; (c) The Dealer shall purchase HSD for the aforesaid use(s) from, within State of Chhattisgarh; (d) Such exemption shall be available to single registered taxpayer and not to a collective group of taxpayers; (e) The dealer shall purchase HSD in bulk from oil marketing companies namely M/s Indian Oil Corporation Ltd., M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd., M/s Hindustan Petroleum Corporation Ltd., M/s Nayara Energy Ltd. and M/s Reliance Industries Ltd.; (f) The dealer shall obtained a certificate of approval from the jurisdictional Commercial Tax

			Officer in the manner prescribed in this notification.
2.	High Speed Diesel	Partly, so as to reduce the rate of tax to 23 Percent + 1 Rupee Per litre.	For all other dealers, except mentioned in column (4) of serial no. 1

1. Manner for issuing approval certificate to the dealer by jurisdictional Commercial Tax Officer.- The dealer shall submit an application on plain paper along with the following details as applicable, namely:-

- (i) Copy of registration certificate under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 ;
- (ii) Turnover in previous financial year ;
- (iii) Quantity of HSD (in KL) purchased and used in previous Financial year ;
- (iv) Balance sheet of previous Financial year ;
- (v) Copy of valid license to import or store class 'B' petroleum products in bulk issued by Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO);
- (vi) Copy of work order, if any;
- (vii) Detail of estimated consumption of HSD for the financial year pertaining to which approval has been sought. along with details of equipments/machinery/vehicles, processes and activities for which the use of HSD is Intended; and
- (viii) Documentary evidence with respect to ownership/lease/allotment etc. of mine(s).

The dealer shall get the approval renewed within thirty days of the beginning of every Financial Year by submitting an application on plain paper along with the documents as envisaged in sub-clause (ii), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) to the jurisdictional Commercial Tax Officer.

The Jurisdictional Authority, on being satisfied with the genuineness of the dealer based on all above conditions, shall grant the Certificate of Approval manually in the following format, within fifteen days of the receipt of application, namely:-

CERTIFICATE OF APPROVAL

Approval is hereby granted to M/s GSTIN for the purchase of HSD @..... % for use by him for the purpose of For the year

Date :-

Place:-

Signature

Name and seal of Commercial Tax Officer

2. The dealer shall submit a duly signed copy of declaration as prescribed in this notification, to the selling oil marketing company within fifteen days from the end of the quarter in which the said purchase has been made and the selling company shall not make any further concessional sale to the said purchaser till the said declaration is furnished.
3. The selling oil marketing company shall furnish the details of such concessional sales to its jurisdictional Commercial Tax Officer within thirty days of the end of the corresponding quarter, in the following format, namely:-

S. No.	Name and GST in of the dealer	Invoice No. and Date	Quantity of HSD sold	Sale Price (in Rs.)	Vat amount (in Rs.)	Total Amount	S. No. of Declaration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

DECLARATION

(Under the notification number dated of the Commercial Tax-GST Department)

I/We.....(name of the Dealer)
..... (address), a Dealer holding Registration Certificate No. (TIN & GSTIN).....under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, hereby declare that I have purchased High Speed Diesel as per the details given below for use or consumption in manufacture or mining or work contract from(Name and Address of the Dealer), holding Registration Certificate No. (TIN & GSTIN).....issued under the said Act.

2. The goods purchased by me are specified in the Registration Certificate and the Registration Certificate was in force on the date of purchase of the said goods.

DETAILS OF GOODS PURCHASED

Details of Purchase Bills/ Invoices/Cash Memos/Challans		Details of goods purchased	Quantity	Price (Rs.)
Serial Number	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Total :-	

Total value (in figures) Rs..... in words..... only.

Place:

Date:

Signature and seal of the merchant

3. The jurisdiction Commercial Tax Officer shall have the power to make inquiry regarding the utilization of HSD for the said purpose(s) and shall revoke the said approval in case of any default.

4. This notification shall come into effect from 1st April, 2026

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 मार्च 2026

अधिसूचना

F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (20).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (एक) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र.	माल का विवरण	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	पेट्रोल	अंशतः इस प्रकार, जिससे कर की दर घटकर 24 प्रतिशत + 2 रुपया प्रति लीटर हो जाए।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 मार्च 2026

F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (20).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (20), दिनांक 30-03-2026 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th March 2026

NOTIFICATION

F.N. RULE/279/2026-COMTAX SECTION (20) – In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-Section (1) of Section 15-B of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 01.04.2026 to 31.03.2027, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Description of Goods	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Petrol	Partly, so as to reduce the rate of tax to 24 Percent + 2 Rupees Per litre.

2. This Notification shall come into force from 1st April, 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.